न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:— 132/18 निर्णय दिनांक:—25.03.2021

1 श्री मती मंशी पुत्री काउडा पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी खीरखाईया तहसिल सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज. ।

वादी

बनाम

1 श्री लक्ष्मण पिता मेंगा हडात उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।
   1 श्री प्रकाश पिता लक्ष्मण हडात
   2 श्री महेश पिता लक्ष्मण हडात
   3 श्री कमलेश पिता लक्ष्मण हडात
   4 श्रीमती सविता पत्नि लक्ष्मण हडात
2 श्री लालजी पिता मेगा हडात उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।
3 श्री हुका पिता धीरजी पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।
4 श्री मान तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठीत धारा 151 जाब्ता दिवानी

उपस्थित :—श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

श्री श्रीकांत जैन प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ग्राम खीरखाईया के होकर स्थायी निवासी है। वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाष्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी मे बारिश की तैयारी को देखते हुए नवीन फसल बुवाई को लेकर साफ सफाई का कार्य कर रही थी व खेडाई करवा रही उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने अनाधिकृत रुप से वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा कर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश करने लगे जिस पर वादीया ने मना किया तो प्रतिवादीगण जमीन हडपने की कोशिश करने लगे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

जिससे मौके पर वादीया व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी आराजी है। तुम्हे उक्त आराजी मे धुसने का कोई अधिकार नही है जिस पर प्रतिवादीगण धमकी देने लगे उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे जिस पर वादीया ने गांव के पंचो को बुलाकर समझाईश करने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा जबरन वाद ग्रस्त जमीन में अतिक्रमण करने लगे व जमीन हडपने की धमकी देने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 कुल रकबा 10 बीधा मे जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावे। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी मे काष्त करने मे रुकावट, प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करे।

इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया गया है। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्रीमती मंशी पिता काउडा पारगी निवासी खीरखाईया

2 पीडब्लयु–2– श्री काउडा पिता धीरजी पारगी निवासी खीरखाईया

1 प्रदर्श– 1 संवत 2072–2075 की हाल जमाबंदी

उक्त बयानो मे बताया की पीडब्लयु–1 वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाश्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी मे बारिश की तैयारी को देखते हुए नवीन फसल बुवाई को लेकर साफ सफाई का कार्य कर रही थी व खेडाई करवा रही उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने अनाधिकृत रुप से वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा कर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश करने लगे। ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर अवैण निर्माण किया जाता है तो ध्वस्त कब्जा सुपुर्द किया जावे। पीडब्लयु–2 ने बयानो में बताया कि वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

वादीया अपने कब्जेकाश्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा में वादीया का 40 साल से कब्जा बना हुआ है। जिस पर खेती करते हुए आ रही है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नही करना चाहा जिससे प्रतिवादी संख्या 2 की साक्ष्य बंद की गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ग्राम खीरखाईया के होकर स्थायी निवासी है। वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाष्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी मे बारिश की तैयारी को देखते हुए नवीन फसल बुवाई को लेकर साफ सफाई का कार्य कर रही थी व खेडाई करवा रही उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने अनाधिकृत रुप से वादीया के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा की भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा कर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश करने लगे जिस पर वादीया ने मना किया तो प्रतिवादीगण जमीन हडपने की कोशिश करने लगे। जिससे मौके पर वादीया व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी आराजी है। तुम्हे उक्त आराजी मे धुसने का कोई अधिकार नही है जिस पर प्रतिवादीगण धमकी देने लगे उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे जिस पर वादीया ने गांव के पंचो को बुलाकर समझाईश करने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा जबरन वाद ग्रस्त जमीन में अतिक्रमण करने लगे व जमीन हडपने की धमकी देने लगे। ऐसे में वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाष्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा में वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे।

उपखण्ड अधिकारी

ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाष्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा अवैध अतिकमण व मकान निर्माण पाया जाता है तो तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण हटाकर ध्वस्त किया जावे।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जेकाष्त की खतेदारी आराजी ग्राम खीरखाईयां खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 540/16 रकबा 10 बीधा में वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा